पत्रांक–2प / वि०–17–01 / 2025(खण्ड–2) / 9824 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर।

पटना, दिनांक 03/7/2026

विषयः– **प्रखंड–उदवंतनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत राज कसाप में मुखिया का पद रिक्त होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के कार्यों के निष्पादन के संबंध में।**

प्रसंगः **आपका पत्रांक–897 दिनांक 06.04.2026।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि निर्वाचन वाद सं0–05 / 2021 राज किशोर सिंह, पिता–स्व0 चन्द्रिका सिंह, ग्राम+पो0–कसाप, प्रखंड–उदवंतनगर, जिला–भोजपुर बनाम पंकज कुमार सिंह एवं अन्य में श्री गौतम, Civil Judge (JR.DIV.)-III CUM Election Tribunal (PANCHAYAT) Bhojpur at Arrah द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पारित आदेश में मुखिया श्री पंकज कुमार सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री पंकज कुमार सिंह, तत्कालीन मुखिया, ग्राम पंचायत–कसाप (उदवंतनगर) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4930 / 2025 वाद दायर किया गया। उक्त दायर वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2025 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–17(2)(ख) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री राजू कुमार, उपमुखिया ग्राम पंचायत कसाप (उदवंतनगर) को मुखिया की अनुपस्थिति में, मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है अथवा नहीं, के बिन्दु पर विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है, जिसका संगत अवतरण अंश निम्नवत् हैः–

"It is safer to seek clarification from writ court regarding purport of order dated 25.03.2025 directing to maintain status quo as existing on that day. Though Civil Court by order dated 17-03-2025 declared election of Pankaj Kumar Singh as void, however, Raj Kishore Singh does not appear to have taken charge of Mukhiya, nor any communication to this effect was issued by any authority"

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक:–2प / वि०–17–01 / 2025(खण्ड–2)/ 9824 / पं०रा० पटना, दिनांक:– 03 / 7 / 2026

प्रतिलिपि:–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक:–2प / वि०–17–01 / 2025(खण्ड–2)/ 9824 / पं०रा० पटना, दिनांक:– 03 / 7 / 2026

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव